received on 16/3/16
16/3/16

डा0 के0के0 पाल,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल,
टिहरी गढ़वाल।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या 5270 /जी0एस/शिक्षा C11-1/2015
देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2016

:–आदेश–:

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति हेतु चयन प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत राज्य सरकार की संस्तुति पर आदेश संख्या 3977/जी0एस0 शिक्षा C11-1 दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 द्वारा डा0 यू0एस0 रावत को 03 माह के लिए पुनः नियुक्त किया गया था। उक्त कार्यकाल दिनांक 16 मार्च, 2016 को पूर्ण हो रहा है। नियमित कुलपति की नियुक्ति हेतु पैनल अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति में और समय लगने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

इसके दृष्टिगत राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा–10 (9) की व्यवस्था के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अन्तरिम व्यवस्था हेतु श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डा0 यू0एस0 रावत की कार्यावधि को दिनांक 17 मार्च, 2016 से अग्रेत्तर तीन माह अथवा नियमित कुलपति नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

डा0 के0के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 5270 (1) जी0एस0 शिक्षा/C11-1/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के चयन का पैनल शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7– कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
8– कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि0ग0।
9– निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
10– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।